संख्या- 54/2017सा0-848/सात-न्याय-1-17-81/2016

प्रेषक,

मुशीर अहमद अब्बासी,
प्रभारी प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ- दिनांक 13 जुलाई, 2017

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष कार्याधिकारी (फिजियोथेरेपिस्ट) का 01 नि:संवर्गीय पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निबन्धक (न्याय एवं चयन एवं अधिष्ठान) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 2189/अधि0, दिनांक 13-06-2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में मा0 न्यायमूर्तिगणों को कार्यावधि के दौरान Backache, Cervical-spondylitis, Joint Pains and other aliments हेतु चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 11/2017/147/पांच-1-16-4(12)/2016, दिनांक 24-04-2017 द्वारा सृजित फिजियोथेरेपिस्ट के 01 पद वेतनमान रू0 35400-112400 लेवल-6 को चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 147/पांच-1-2017-4(12)/2016, दिनांक 12-07-2017 द्वारा आस्थगित रखते हुये बैचलर डिग्री (फिजियोथेरेपी) शैक्षिक अर्हता एवं 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेष कार्याधिकारी (फिजियोथेरेपिस्ट) वेतनमान रू0 47600-151100 पे मैट्क्सि-8 का 01 नि:संवर्गीय पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा पद के भरे जाने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28-02-2018 तक के लिए यदि उक्त पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, को निम्नलिखित शर्तो के अधीन सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- किसी भी दशा में नि:संवर्गीय पद को स्थायी न किया जाये और न ही उस पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को स्थायी किया जाये क्योंकि नि:संवर्गीय पदों का सृजन केवल कार्य विशेष के लिये किया जाता है और कार्य विशेष समाप्त होने के उपरान्त उक्त पद स्वत: समाप्त हो जायेगा।

2- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नि:संवर्गीय पद को चालू रखने के लिये पद की आवश्यकता का औचित्य पाये जाने पर उसकी निरन्तरता सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तिम दिन तक के लिये सीमित रहेगी, के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति से मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- उक्त पदधारक को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत वेतन, मंहगाई तथा अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हो, देय होगें।

3- उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक-''2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय (भारित) के अन्र्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-12-716/दस/2017,दिनांक 28 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमत से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/- मुशीर अहमद अब्बासी,
प्रभारी प्रमुख सचिव।

संख्या-54/2017/सा0-848(।)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी एवं आडिट-।।) उ0;प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
3- निबन्धक (न्याय/चयन/अधि0), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
7- न्याय अनुभाग-9/बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/विधि परामर्शी पुस्तकालय।
8- चिकित्सा अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0/- विपिन कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in